

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कर्मोंक: सामान्य / 11 / 07 / 2018

दिनांक:-07 / 08 / 2018

—:आदेश:—

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान सरकार की अधिसूचना कर्मोंक एफ.2(5)न्याय/2012 दिनांक 6.8.2018 द्वारा नवसृजित विशेष न्यायालयों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, के पीठासीन अधिकारियों को उनके नाम के आगे अंकित सेशन न्यायालयों की अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करता है:-

क.सं.	नवसृजित विशेष न्यायालय का नाम	सेशन न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, संख्या 1 अजमेर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर	अजमेर
2.	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, संख्या 2 अजमेर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर	अजमेर
3.	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, संख्या 1 अलवर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर	अलवर
4.	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, संख्या 2 अलवर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर	अलवर
5.	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, संख्या 3 अलवर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर	अलवर
6.	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, संख्या 4 अलवर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर	अलवर
7.	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बालोतरा	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा	बालोतरा
8.	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बांसवाड़ा	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा








54.	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 संख्या 1, उदयपुर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर	उदयपुर
55.	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 संख्या 2, उदयपुर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर	उदयपुर

आदेशानुसार,

  
(सतीश कुमार शर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

क्रमांक: सामान्य/II/33/2012/977

दिनांक 07.8.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ
2. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
3. समस्त विशेष न्यायालय।
4. समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश का आगामी अंक में प्रकाशन कर प्रति इस कार्यालय को भिजवावें।

  
(सतीश कुमार शर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल